

26⁸/₂₀₂₄ पत्रावली पेश हुई। वादी वकील
वादी अनुपस्थित। बार-बार आवाज
दिलवायी जाने पर भी वादी की ओर से
कोई उपस्थित नहीं। अतः दया वादी
अदालत हाजरी अदालत पैरवी में खारिज
किया जाता है। पत्रावली फौजदारी शुक्र
दोष नष्ट से कान दोष दफ्तार जारी
है।

(12)

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)